केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/00249/CR-1 **दिनांक : 26.03.2018**

सेवा में,

Ms. Neeraja

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सुचना प्रदान करना.

महोदया,

आपका उपरोक्त RTI आवेदन CPIO (RTI Cell) से दिनांक 16.03.2018 को CR - 1 में इस हिदायत के साथ प्राप्त हुआ कि अधोहस्ताक्षरी को बिंदु संख्या 3 पर सूचना देनी है । अत: बिंदु संख्या 3 का अवलोकन किया गया एव पाया गया कि उसमें वर्णित RTI आवेदन दिनांक **21.12.2017** एव **27.1.2017** अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उन पर सूचना CPIO & SO(Admn) द्वारा प्रदान की गई । बाकी वर्णित RTI आवेदन दिनांक 22.12.2017 (जो कि आयोग में CICOM/R/2017/01520 के तहत पंजीक्रत हुआ) एव RTI आवेदन 23.12.2017 (जो कि आयोग में CICOM/R/2018/00010 के तहत पंजीक्रत हुआ) पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दो अलग - अलग पत्रों द्वारा जिनकी दिनांक 04.01.2018 थी आपको पहले ही जवाब दिया जा चूका है परन्तु लिफाफे वापिस प्राप्त हो गये । अत: प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आपकी ही एक दूसरी RTI (जो कि CICOM/R/2017/01512 के तहत पंजीक्रत हुई थी) पर दिए गये आदेश के मद्देनजर आप से निवेदन है कि यदि आप चाहे तो केन्द्रीय सूचना आयोग कार्यालय में, आपने किसी पहचान पत्र के साथ आकर, उस सूचना की प्रति प्राप्त कर सकते है ।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- **श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी , केन्द्रिय सूचना आयोग**, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस, नई दिल्ली 110067 ।

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजियक -उप /
केन्द्रीय रजिस्टरी - 1

प्रतिलिपि :

1. **केंद्रीय जन सूचना अधिकारी,** केन्द्रीय सूचना आयोग **।**

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिवपंजियक -उप /